FOR: U.G. PART-3 (HIST. HONS.)
PAPER - VI

GOVT. OF INDIA ACT - 1919

(PART-1)

Page No.:
Date:

भारत सरकार अधिनियम - 1919 (भाग -1)

प्रथम विश्वयुद्ध, क्रांतिकारी गतिविधियों में तेजी से वृद्धि और होमरूल आंदोलन की लोकप्रियता का ब्रिटिश सरकार पर संयुक्त प्रभाव पड़ा जिसने अपने नीतियों में परिवर्तन करने तथा भारतीय राष्ट्रवादी मांगों के प्रति तुष्टिकरण की नीति का अनुसरण करते हुये 1919 में भारत सरकार अधिनियम (The Government of India Act) लाया। इसे तत्कालीन भारत-सचिव 'एडविन मोन्टेग्यू' तथा वायसराय 'लार्ड चेम्सफोर्ड' के नाम पर 'मोन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार' भी कहा जाता है।

अगस्त 1917 की मोन्टेग्यू घोषणा तथा मोन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित इस अधिनियम को मोन्टेग्यू ने "संसद द्वारा निर्मित सरकार और भारत के जन-प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित सरकार के बीच सेतु" कहा गया।

1919 के अधिनियम पारित करने के पीछे निम्नलिखित कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही :-

अगस्त 1914 में प्रथम विश्वयुद्ध की शुरुआत तथा इस युद्ध में भारतीय लोगों द्वारा तन-मन-धन से अंग्रेजों की सहायता ने प्रतिनिधित्व के प्रति उम्मीद पैदा की। भारतीय सैनिकों ने कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों का साथ दिया था। इससे उनमें आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मान का भाव पैदा हुआ।

सन 1916 तक भारत के सभी राजनीतिक दलों सहित ब्रिटेन के सभी दलों ने महसूस किया कि भारत-सरकार की संरचना में परिवर्तन आवश्यक है। अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन द्वारा प्रथम विश्वयुद्ध के सन्दर्भ में यह वक्तव्य की यह युद्ध विश्व में लोकतंत्र की रक्षा हेतु लड़ा जा रहा है, इससे भारतीयों के मन में उत्तरदायी शासन की उम्मीद बंधी।

1916 में होमरूल आंदोलन एनीबेसेंट तथा तिलक द्वारा प्रारम्भ किया गया जिसका लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत भारतीयों के लिए स्वशासन प्राप्त करना था। एनी बेसेंट तथा तिलक ने गोष्ठियों, देश भ्रमण, ज्ञापनों के जरिये होमरूल या स्वशासन की मांग को प्रमुखता से उठाया। सरकार ने इसे

Scanned with CamScanner

कुचल डालने के लिए दमन चक्र का सहारा लिया। जून 1917 में श्रीमती बेसेंट की गिरफ्तारी से आंदोलन भड़क गया। फलस्वरूप सरकार शीघ्र ही उन्हें रिहा करने पर मजबूर हो गई। ऐसे में होमरूल आंदोलन के प्रभाव से भारत सरकार तथा विभिन्न प्रांतीय अधिकारी भयभीत हुये तथा उन्होंने भारत सचिव पर इस बात का दबाव डाला कि भारत सरकार की नीति तथा उद्देश्य स्पष्ट करें।

इसी पृष्ठभूमि में, भारत सरकार से युद्ध कोष में 10 करोड़ पौंड का योगदान माँगा गया तो यह अनुभव किया गया कि जनमत को संतुष्ट करने के लिए ब्रिटिश सरकार को कुछ उचित कदम उठाने पड़ेंगे। इस तरह से भारतीयों को अधिक राजनीतिक शक्ति एवं उत्तरदायित्व प्रदान करने की नीति मुख्य रूप से भारत में राष्ट्रीय दबाव के कारण अपनाई गई।

अपने कार्यभार संभालने के पाँच सप्ताह के भीतर ही भारत-सचिव मांटेग्यू ने 20 Aug. 1917 को कॉमन्स सभा में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में लागू किये जाने वाले प्रस्तावित सुधारों की घोषणा की, जिसमें चार बातों का उल्लेख था :-

(i) ब्रिटिश शासन का लक्ष्य भारत में 'स्वशासन' को विकसित करना है
(ii) स्वशासन एकदम न दिया जाकर विभिन्न चरणों में दिया जायेगा।
(iii) विभिन्न चरणों का निर्धारण भारतीयों द्वारा स्वशासन की दिशा में की गई प्रगति पर निर्भर करेंगे।
(iv) प्रगति के विषय में निर्धारण ब्रिटिश संसद तथा ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा किया जाना था।

1917 के अगस्त प्रस्ताव का भारतीय इतिहास में उल्लेखनीय महत्व है। यह प्रथम शासकीय घोषणा थी जिसके द्वारा भारत को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अन्य डोमीनियन्स की तरह स्वतंत्र डोमीनियन्स की स्थिति प्रदान करना प्रस्तावित था। फलतः आगे चलकर भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना संभव हुआ।

ब्रिटिश संसद तथा भारत-सरकार द्वारा शिमला में आयोजित सर्वोच्च परिषद् की बैठक में 1917 के अगस्त-प्रस्ताव

पर विचार-विमर्श प्रारम्भ हुआ। भारत सचिव मोन्टेग्यू, गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड से विचार-विमर्श करने हेतु एक शिष्टमंडल सहित 10 Nov. 1917 को बम्बई आये। उन्होंने वायसराय लार्ड चेम्सफोर्ड केन्द्रीय तथा प्रांतीय सरकार के अधिकारियों तथा भारतीय नेताओं से विचार-विमर्श किया तथा एक समिति गठित की गई जिसमें सर विलियम ड्यूक, भूपेन्द्र नाथ बसु और अंग्रेजी संसद के सदस्य चार्ल्स रार्बट शामिल थे। समिति ने भारतीय संवैधानिक सुधारों पर एक रिपोर्ट तैयार की जिसे मान्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कहा गया। इसे 8 July 1918 को प्रकाशित किया गया।

हाउस ऑफ कामन्स में मोन्टेग्यू सुधार योजना पर आधारित एक विधेयक 28 मई 1919 को प्रस्तुत किया गया। 23 Dec. 1919 को विधेयक पर सम्राट की स्वीकृति प्राप्त हो गई और उसके बाद यही विधेयक 1919 का "भारत सरकार अधिनियम" (Govt. of India Act) बन गया।

अधिनियम की प्रस्तावना (Preamble) में निम्नलिखित बातें थीं:-

1. प्रशासन में भारतीयों का सम्पर्क बढ़ाया जायेगा।
2. भारत ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग बना रहेगा।
3. स्वशासन की संस्थाओं का विकास किया जायेगा।
4. भारत में ब्रिटिश नीति का लक्ष्य उत्तरदायी शासन (Responsible Governance) की स्थापना होगी
5. उत्तरदायी शासन और स्वशासन की संस्थाओं की स्थापना का काम धीरे-धीरे और क्रमिक ढंग से होगा
6. कब और कितनी प्रगति हो इसका अन्तिम निर्णय ब्रिटिश संसद के हाथों में रहेगा।

इसके अतिरिक्त प्रस्तावना में कहा गया था कि प्रांतों में स्वशासन की संस्थाओं के क्रमिक विकास के साथ-साथ आंशिक उत्तरदायित्व की भी स्थापना की जायेगी और साथ ही प्रांतीय सरकारों को केन्द्रीय नियन्त्रण से मुक्त रखने का भी प्रयास किया जायेगा।

1919 के भारत-सरकार अधिनियम के मुख्य प्रावधान (Main Provisions) निम्नलिखित हैं:-

(A) गृह शासन संबंधी प्रावधान: भारत सचिव पर संसद का नियंत्रण

बढ़ा दिया गया। 1793 से भारतीय राज्य सचिव को भारतीय राजस्व से वेतन मिलता था उसे बंद कर अंग्रेजी राजस्व से दिये जाने लगा जिसे ब्रिटिश संसद द्वारा स्वीकृत की जाती थी। इसका साफ मतलब था भारत सचिव के वेतन पर मतदान के समय उसके नीतियों की समीक्षा करना। भारत सचिव के कुछ कार्य उससे लेकर एक नये पदाधिकारी 'भारतीय उच्च आयुक्त' (Indian High Commissioner) को प्रदान किये गये जिसको भारतीय राजस्व से वेतन मिलना था। भारत परिषद् के सदस्यों की संख्या न्यूनतम 8 तथा अधिकतम 12 कर दी गई। इसमें से आधे सदस्य वे होंगे जो दीर्घकाल से भारत रहते आये हों। इन सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया।

(ii) प्रांतीय प्रशासन संबंधी कुछ मामलों में भारत-सचिव की शक्ति में कमी की गई। इसका कारण था कि प्रांतों में अधिक उत्तरदायी प्रशासन की स्थापना। हस्तांतरित विषयों में भारत-सचिव केवल कुछ अवस्थाओं में जैसे कि ब्रिटिश साम्राज्य के हितों, केन्द्रीय विषयों के प्रशासन तथा अपने विशिष्ट अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप कर सकता था।

(B) भारत सरकार में परिवर्तन: कार्यकारिणी में - (i) गवर्नर-जनरल की कार्यकारिणी में 8 सदस्यों में से 3 भारतीय नियुक्त किये गये और उन्हें विधि, शिक्षा, श्रम, स्वास्थ्य तथा उद्योग विभाग आदि दिये गये।

(ii) इस अधिनियम द्वारा सभी विषयों को केन्द्रीय तथा प्रांतीय विषयों में बाँटा गया। केन्द्रीय सूचि में सम्मिलित विषयों पर सपरिषद् गवर्नर-जनरल का अधिकार था। इसमें राष्ट्रीय महत्व तथा एक से अधिक प्रांतों से सम्बद्ध विषयों यथा- विदेशी मामले, रक्षा, राजनैतिक संबंध, डाक और तार, सार्वजनिक ऋण, संचार, दीवानी तथा फौजदारी कानून एवं कार्यप्रणाली - शामिल थे।

[क्रमशः जारी]

Scanned with CamScanner